19.12.2025 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी
संख्या 1 से 5 के वकील उपस्थित।
शेष विप्रार्थी एकपक्षीय। उभयपक्ष अधिवक्ताओं
को बहस सुनी गई और बहस पर
गौर किया तथा पत्रावली का गम्भीरता-पूर्वक
अवलोकन करने पर पाया की ग्राम जोगेश्वर
महादेव तहसील पचपदरा की मूल खसरा नम्बर
234 से निर्गत होकर कायम नम्बर विभिन्न
के है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि
खसरान की तरमीम मौका कब्जा काश्त
अनुसार करवाने का अनुतोष चाहा है
विप्रार्थी द्वारा बहस के ऊपर उठाया गया
कि विवादित खसरों की तरमीम न्यायालय आदेश
से हो रखी है न्यायालय हाज़ा का आशय
है कि मूल खसरा नम्बर 234 से निर्गत
होकर खसरान की तरमीम मौका कब्जा एवं
रिकॉर्ड अनुरूप हो रखी है अथवा नहीं।
यह तो जांच का विषय है तथा शुरुआत

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालातरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम की तामील
	तहसीलदार पचपदरा द्वारा की विवादित आराजी की तरमीम दुरुस्ती की स्पष्ट टिप्पणी सहित रिपोर्ट पेश की गई है कि प्रार्थीगण का हक विवाद का विरुद्ध अशुद्ध तरमीम को लेकर है। चूंकि वर्तमान में तहसील क्षेत्र पचपदरा में री-सेटलमेंट का सर्वे कार्य चल रहा है। इस कारण उक्त प्रकरण को तहसीलदार पचपदरा को प्रति-प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है, ताकि सर्वे-रिसर्वे के दौरान वास्तविक मौका एवं रेकर्ड स्थिति के अनुरूप तरमीम शुद्धि हो सके। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार कीया जाकर तहसीलदार पचपदरा/सहायक भू अभिलेख एवं पदेन निरीक्षक भू प्रबंध अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी का री-सेटलमेंट सर्वे के दौरान प्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका काश्त-कब्जा एवं रेकर्ड स्थिति को मध्यनजर रखते हुए विवादित आराजी की नियमानुसार तरमीम दुरुस्ती किया जाना सुनिश्चित करावें। पत्रावली फैसल कुमार भेजकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	